

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी-दिव्यराज सिंह चुण्डावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
947/2024

दायर दिनांक
19.12.2024

निर्णय दिनांक
19.12.2024

1. होक्मा पुत्र बगता बैरवा जति बैरवा उम्र वयस्क निवासी गेंगा का खेडा तहसील कोटडी नवीन तहसील साईपुर जिला भीलवाडा राज

- प्रार्थी

बनाम

1. धन्ना लाल पिता छोगालाल चतुर्वेदी उम्र वयस्क निवासी गेंगा का खेडा तहसील कोटडी नवीन तहसील साईपुर जिला भीलवाडा
2. भैरू पिता गोर्वधन बैरवा उम्र वयस्क निवासी गेंगा का खेडा तहसील कोटडी नवीन तहसील साईपुर जिला भीलवाडा
3. राजस्थान राज्य जरीये तहसीलदार तहसील कोटडी नवीन तहसील साईपुर जिला भीलवाडा

— विपक्षीगण

उपस्थित:-अधिवक्ता प्रार्थीगण श्री मनमोहन शर्मा
अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 02 उपस्थित नहीं

-: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 आर0एल0आर एक्ट :-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने विपक्षीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम गेंगा का खेडा पटवार हत्कम- गेंगा का खेडा, तहसील कोटडी नवीन तहसील साईपुर जिला-भीलवाडा की सरहद में मुझ प्रार्थी की कृषि आराजियाम स्थित है जिसका विवरण सम्वत् 2074 से 2077 तक में दर्ज खाता संख्या नया 375 पुराना 344 में वर्णित आराजी संख्या 276/12, 276/2, 276/8, कुल कित्ता 3 रकबा 0.9722 हेक्टेयर है। प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और प्रतिवादी गैर-बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी खातेदारी आराजियात को मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 2 उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते हैं। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

मैंने पत्रावली में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थी आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

ग्राम गेगा का खेडा पटवार हल्का- गेगा का खेडा, तहसील कोटडी नवीन तहसील सवाईपुर जिला-भीलवाड़ा की सरहद में हम प्रार्थी की कृषि आराजिया स्थित है जिसका विवरण सम्वत् 2074 से 2077 तक में दर्ज खाता संख्या नया 375 पुराना 344 में वर्णित आराजी संख्या 276/12, 276/2, 276/8, कुल कित्ता 3 रकबा 0.9722 हेक्टर है। भूमि कृषि भूमि की पत्थरगढी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार सवाईपुर/नायब तहसीलदार बडलियास को 1000-00 अक्षरे एक हजार रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधेवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 19-12-2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिव्यराज सिंह अग्रवाल)
उपस्थित अधिकारी
भीलवाडा